

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015-37(आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 14-03-2015
प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Mail/Fax

विषय :

कृषि निदेशक बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ नालन्दा/भोजपुर/ बक्सर / रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/ सारण/ सीवान /गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण /सीतामढ़ी/ शिवहर/वैशाली /दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई /भागलपुर /बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/ अररिया /कटिहार /खगड़िया।

खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए पूर्व में स्वीकृत तीन सिंचाई को बढ़ाकर पाँच सिंचाई के लिए अनुमान्यता प्रदान करने तथा धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए डीजल पर प्रति लीटर अनुदान को 25 रु० से बढ़ाकर 30 रु० करने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा प्रथम अनुपूरक से बजट उपबंध के आलोक में 200.00 करोड़ रु० (दो अरब रु०) की अतिरिक्त लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 32.00 करोड़ रुपये (बत्तीस करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹11,63,09,000 (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख नौ हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

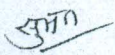
उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3697 दिनांक-06.08.2015 के द्वारा खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए पूर्व में स्वीकृत तीन सिंचाई को बढ़ाकर पाँच सिंचाई के लिए अनुमान्यता प्रदान करने तथा धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए डीजल पर प्रति लीटर अनुदान को 25 रु० से बढ़ाकर 30 रु० करने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा प्रथम अनुपूरक से बजट उपबंध के आलोक में 200.00 करोड़ रु० (दो अरब रु०) की अतिरिक्त लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 32.00 करोड़ रुपये (बत्तीस करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु कुल ₹11,63,09,000 (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख नौ हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹11,63,09,000 (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख नौ हजार रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0125-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्रकोड-P2401007890125 विषयशीर्ष-3301 -सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

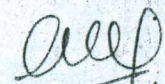
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाजन



(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

१७ (आवंटन)

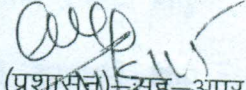
/कृ०, पटना, दिनांक 14-09-2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई



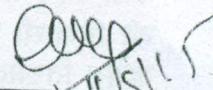
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 14-09-2015

ज्ञापांक

१७ (आवंटन)

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्य) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 14-09-2015

ज्ञापांक

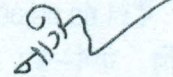
१७ (आवंटन)

प्रतिलिपि : विवरणी सहित उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।





निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए (अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3697/दिनांक-06.08.2015 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890125

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृतपूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3011 दिनांक-25.06.2015 द्वारा स्वीकृत राशि	पूर्व में विभागीय पत्रांक-46 (आवंटन) दिनांक-25.06.2015 द्वारा आवंटित राशि	वर्तमान स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल स्वीकृत राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि निदेशक बिहार, पटना	4,85,65,000	4,85,65,000	-	-	4,85,65,000	4,85,65,000
2	जिला पदाधिकारी, पटना	59,47,800	59,47,800	1,04,90,000	52,45,000	1,64,37,800	1,11,92,800
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	63,25,400	63,25,400	1,11,56,000	55,77,500	1,74,81,400	1,19,02,900
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	56,17,400	56,17,400	99,08,000	49,54,000	1,55,25,400	1,05,71,400
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर	44,13,600	44,13,600	77,84,000	38,92,000	1,21,97,600	83,05,600
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास	92,78,800	92,78,800	1,63,65,000	-	2,56,43,800	92,78,800
7	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	51,92,600	51,92,600	91,58,000	45,79,000	1,43,50,600	97,71,600
8	जिला पदाधिकारी, गया	76,23,600	76,23,600	1,34,46,000	-	2,10,69,600	76,23,600
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	23,60,200	23,60,200	41,63,000	20,81,500	65,23,200	44,41,700
10	जिला पदाधिकारी, अरवल	20,06,200	20,06,200	35,38,000	-	55,44,200	20,06,200
11	जिला पदाधिकारी, नवादा	40,36,000	40,36,000	71,18,000	-	1,11,54,000	40,36,000
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	78,36,000	78,36,000	1,38,20,000	-	2,16,56,000	78,36,000
13	जिला पदाधिकारी, सारण	56,17,400	56,17,400	99,08,000	49,54,000	1,55,25,400	1,05,71,400
14	जिला पदाधिकारी, सिवान	54,75,800	54,75,800	96,58,000	48,29,000	1,51,33,800	1,03,04,800
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	48,62,000	48,62,000	85,75,000	42,87,500	1,34,37,000	91,49,500
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	63,49,000	63,49,000	1,11,98,000	55,99,000	1,75,47,000	1,19,48,000
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	92,28,600	92,28,600	1,62,77,000	81,38,500	2,55,05,600	1,73,67,100
18	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	75,76,400	75,76,400	1,33,63,000	66,81,500	2,09,39,400	1,42,57,900
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	46,96,800	46,96,800	82,84,000	41,42,000	1,29,80,800	88,38,800
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर	12,03,800	12,03,800	21,23,000	10,61,500	33,26,800	22,65,300
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली	38,23,600	38,23,600	67,44,000	33,72,000	1,05,67,600	71,95,600
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	45,78,800	45,78,800	80,76,000	40,38,000	1,26,54,800	86,16,800
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	76,47,200	76,47,200	1,34,87,000	67,43,500	2,11,34,200	1,43,90,700
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	51,92,600	51,92,600	91,58,000	45,79,000	1,43,50,600	97,71,600
25	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	40,12,400	40,12,400	70,77,000	35,38,500	1,10,89,400	75,50,900
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	21,71,400	21,71,400	38,30,000	-	60,01,400	21,71,400
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	13,69,000	13,69,000	24,15,000	-	37,84,000	13,69,000
28	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	20,77,000	20,77,000	36,63,000	-	57,40,000	20,77,000
29	जिला पदाधिकारी, जमुई	33,75,200	33,75,200	59,53,000	-	93,28,200	33,75,200
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	44,84,400	44,84,400	79,09,000	-	1,23,93,400	44,84,400
31	जिला पदाधिकारी, बांका	52,87,000	52,87,000	93,25,000	-	1,46,12,000	52,87,000
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा	33,75,200	33,75,200	59,53,000	29,76,500	93,28,200	63,51,700
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल	42,01,200	42,01,200	74,10,000	37,05,000	1,16,11,200	79,06,200
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	34,69,600	34,69,600	61,19,000	30,59,500	95,88,600	65,29,100
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	54,75,800	54,75,800	96,58,000	48,29,000	1,51,33,800	1,03,04,800
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	40,83,200	40,83,200	72,02,000	36,01,000	1,12,85,200	76,84,200
37	जिला पदाधिकारी, अररिया	48,85,800	48,85,800	86,17,000	43,08,500	1,35,02,800	91,94,300
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार	40,59,600	40,59,600	71,60,000	35,80,000	1,42,19,600	76,39,600
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	22,18,600	22,18,600	39,13,000	19,56,500	61,31,600	41,75,100
	कुल	23,00,00,000	23,00,00,000	32,00,01,000	11,63,09,000	55,00,01,000	34,63,09,000

कुल-वर्तमान आवंटित राशि (ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख नौ हजार रु०) मात्र।

उत्तर

नाम

(प्रमु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।